

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बइजलास हीरालाल मीना, आर.ए.एस., उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

स्व वाद संख्या 106/2012

तो :-

1. बाबूसिंह पुत्र श्री पहाडसिंह
2. नरपतसिंह पुत्र श्री जालम सिंह जाति राजपुत
निवासी भूणास, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

बनाम

तेवादीगण :-

1. उम्मेदसिंह पुत्र पहाडसिंह
भंवरसिंह पुत्र श्री विशालसिंह फौत, कायम मुकाम :-
2. शिवसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह
3. गिरधारीसिंह पुत्र भंवरसिंह
4. कुन्दनसिंह पुत्र हिन्दूतसिंह
5. चण्णासिंह पुत्र भंवर सिंह
6. जसूसिंह पुत्र भंवरसिंह
7. चैन कंवर बेवा हुक्मसिंह
अचलसिंह पुत्र विशालसिंह फौत, कायम मुकाम :-
8. हरिसिंह पुत्र अचलसिंह
9. भानसिंह पुत्र अचलसिंह
10. सतूसिंह पुत्र अचलसिंह
11. तेजसिंह पुत्र श्री श्री विशालसिंह
गणपतसिंह पुत्र श्री विशालसिंह फौत, कायम मुकाम :-
12. दलपतसिंह पुत्र गणपतसिंह
13. राजूसिंह पुत्र गणपतसिंह
14. भोमसिंह पुत्र गणपतसिंह
15. पप्पूसिंह पुत्र गणपतसिंह
16. महेन्द्रसिंह पुत्र गणपतसिंह
श्रवणसिंह पुत्र विशालसिंह फौत, कायम मुकाम :-
17. किशोरसिंह पुत्र श्रवणसिंह
18. कालूसिंह पुत्र श्रवणसिंह
पीरासिंह पुत्र श्री विशालसिंह फौत, कायम मुकाम :-
19. बाबूसिंह पुत्र पीरासिंह
20. रामासिंह पुत्र पीरासिंह
21. बालसिंह पुत्र कल्याणसिंह
22. दशरथसिंह पुत्र दयालसिंह
23. किशोरसिंह पुत्र दयालसिंह
24. जब्बरसिंह पुत्र कानसिंह
25. उम्मेदसिंह पुत्र कानसिंह
26. गोविन्दसिंह पुत्र कानसिंह
पप्पूसिंह पुत्र कानसिंह फौत, कायम मुकाम :-

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

27. अनूपसिंह पत्नी पप्पूसिंह
28. शैतानसिंह पुत्र जोधसिंह
29. पेफसिंह पुत्र जोधसिंह
30. सोनूसिंह पुत्र जोधसिंह
31. भंवरकंवर बेवा जोधसिंह
32. मंगूसिंह पुत्र श्यामसिंह
33. हडमानसिंह पुत्र श्यामसिंह
गंभीरसिंह पुत्र दूलसिंह फौत, कायम मुकाम -
34. पूर्णसिंह पुत्र गंभीरसिंह
35. गुलाबसिंह पुत्र गंभीरसिंह
जालमसिंह पुत्र श्री दूलसिंह फौत, कायम मुकाम :-
36. देसू कंवर पुत्री जालमसिंह
37. छोटू कंवर पुत्री जालमसिंह
38. सतूसिंह पुत्र सज्जनसिंह
39. मालमसिंह पुत्र सज्जनसिंह
40. लालसिंह पुत्र सज्जनसिंह
41. महेन्द्रसिंह पुत्र सज्जनसिंह
42. सिरे कंवर पुत्री सज्जनसिंह
मोडासिंह पुत्र कल्याणसिंह फौत, कायम मुकाम :-
43. भीखसिंह पुत्र मोडसिंह
44. नारायणसिंह पुत्र मोडसिंह
45. महेन्द्रसिंह पुत्र मोडसिंह
46. राम कंवर बेवा मोडासिंह
47. अमरसिंह पुत्र धूकलसिंह
48. मूलसिंह पुत्र धूकलसिंह
जातियान राजपूत, निवासीगण भूणास तहसील मेड़ता, नागौर।
49. तहसीलदार, मेड़ता
दावा बाबत बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व रिकर्ड दुरुस्ती
अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय दिनांक - 18.09.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी ने दावा बंटवाड़ा घोषणा खातेदारी व रिकर्ड दुरुस्ती के पेश कर निवदेन किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 48 तक नजदीकी पारिवारिक कुटुम्ब के सदस्य हैं और हिन्दू मिताक्षरा विधि से गर्वन होते हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 48 तक के संयुक्त खातेदारी के खेत ग्राम तोगास की सरहद के खेत खसरा नं. 24 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नं. 38 रकबा 1.11 हैक्टेयर, 132 रकबा 1.08 हैक्टेयर, 136 रकबा 0.04 हैक्टेयर, 140 रकबा 1.14 हैक्टेयर, 78 रकबा 1.02 हैक्टेयर, 79 रकबा 0.07 हैक्टेयर, 80 रकबा 1.98 हैक्टेयर, 81 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 82 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 83 रकबा 0.27 हैक्टेयर ग्राम चक जैसास अखेराज की सरहद में खेत खसरा नं. 19 रकबा 2.25 हैक्टेयर, 17 रकबा 1.20 हैक्टेयर, 9 रकबा 1.89 हैक्टेयर, ग्राम भूणास की सरहद के खेत खसरा नं. 10 रकबा 0.95 हैक्टेयर, 11 रकबा 0.53 हैक्टेयर, 12 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 150 रकबा 0.90 हैक्टेयर, 151 रकबा 0.83 हैक्टेयर, 23 रकबा 0.53 हैक्टेयर, 24 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 81 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 82 रकबा 0.51 हैक्टेयर, 83 रकबा 0.24 हैक्टेयर, 88 रकबा 0.01 हैक्टेयर गैरमुमकिन बेरा, हैक्टेयर,

खसरा नं. 89 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नं. 90 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नं. 63 रकबा 0.68 हैक्टेयर, खसरा नं. 64 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नं. 65 रकबा 0.62 हैक्टेयर, खसरा नं. 66 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नं. 67 रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। उपरोक्त खसरान की जमीन की खतौनी की नकल सम्वत् 2065 से 2068 तक की दावे के साथ पेश है वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 48 तक की जमीन पूर्वजों के समय से सम्मिलित काश्त के रूप में काम में आ रही थी। लेकिन वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहूलियत के हिसाब से ही बंट कर लिया था और इस पारिवारिक बंटवाड़े के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 48 तक अपने अपने हिस्से की जमीन पर काश्त कर रहें है और अपने - अपने खेतों में अलग अलग सीमांकन कर माटे डाली हुई है। लेकिन खातेदारी में एक दूसरे के नाम दर्ज होने के कारण जमीन से सम्बंधित विशेष कार्य करने में भारी कठिनाई का सामना करना पडता है। इसलिए रेकर्ड में मौके के हिसाब से बंटवाडा करना अति आवश्यक हो गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 48 में मध्य बंटवाडा पैरा संख्या 4 के बिन्दु संख्या 1 से 18 में बताया गया है वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 48 तक पीढीयों में एक ही परिवार के सदस्य है। इनमें से कई प्रतिवादीगण का इन्तकाल हो चुका है। लेकिन इनका कब्जा व काश्त नहीं होने से खातेदारी में तोगास इन्द्राज है और जो प्रतिवादीगण फौत हो गये है उनका जमीन में बंट व कब्जा नहीं होने के कारण उनके उत्तराधिकारियों ने अपने नाम जमीन का नामान्तरण नहीं भरवाया है। इसलिए कोर्ट में दावा पेश करना लाजमी हो गया है। अतः दावा के पैरा संख्या 11 के अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

वादीगण ने अपने पक्ष समर्थन में ग्राम तोगास के जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 खाता संख्या 6 खसरा नं. 24, 38 खाता 7 खसरा नं. 132, 136, 140, 141, 78, 79, 80, 81, 82, 83 व ग्राम चक जैसास अखेराज जमाबन्दी संवत 2066 से 2069 खाता संख्या 27 खसरा नं. 19, खाता 46 खसरा नं. 17, 9, जमाबन्दी ग्राम भूणास संवत 2065 से 2068 खाता संख्या 3 खसरा नं. 10, 11, 12, 150, 151, 23, 24, 81, 82, 83, 88, 89, 90 जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 खाता संख्या 32 खसरा नं. 63, 64, 65, 66, 67 बेचान नामा, मिलान क्षेत्रफल, राशन कार्ड बालसिंह पुत्र कल्याणसिंह व आधार कार्ड बालसिंह पुत्र कल्याणसिंह की प्रतियां पेश की।

दावा दर्ज रजिस्ट्र कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 48 ने जबाब पेश किया जिसमे उन्होंने दावे की ताईद करते हुए दावा डिक्री किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 21 द्वारा राजीनामा पेश किया है तथा प्रतिवादी संख्या 49 को सम्मन तामिल के आवाज लगान के बावजूद भी अनुपस्थित रहने से दिनांक 26.06.2012 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी नरपतसिंह पुत्र जालमसिंह, बाबुसिंह पुत्र पहाड़सिंह, नवलसिंह पुत्र रवतसिंह, सवाईसिंह पुत्र सडुलसिंह के शपथ पत्र पेश किये जिसमें उन्होंने दावे की ताईद की है।

विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह था कि सभी प्रविवादीगण द्वारा अपने जबाबं दावे में दावे ताईद करते हुए दावा डिक्री किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होना दर्शाया है चूंकि

पक्षकारान के मध्य दावे को डिक्री किये जाने का कोई आपत्ति/विवाद नहीं है। अतः दावा डिक्री फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथ विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। चुकि प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में दावे को डिक्री करने में कोई आपत्ति नहीं की है तथा बयानात शपथ पत्र में दावे की ताईद की है कुछ पक्षकारान के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो गया। अतः दावा वादीगण डिक्री निम्न प्रकार किया जाता है।

आदेश

1. वादीगण बाबूसिंह व प्रतिवादीगण सं. 1 उम्मेदसिंह के बंट की जमीन ग्राम तोगास की सरहद के खेत खसरा नं. 24 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नं. 38 रकबा 1.11 हैक्टेयर में वादी संख्या 1 बाबूसिंह का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेदसिंह का रखा गया है। खसरा नं. 132 रकबा 1.08 हैक्टेयर, खसरा नं. 136 रकबा 0.04 हैक्टेयर उक्त दोनों खेतों का सम्पूर्ण हिस्सा।
2. ग्राम भूणास की सरहद के खेत खसरा नं. 10 रकबा 0.95 हैक्टेयर में से 1/2 भाग वादी संख्या 1 बाबूसिंह का व 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेदसिंह का खसरा नं. 151 रकबा 0.83 हैक्टेयर में से 1/2 भाग वादी संख्या 1 बाबूसिंह का व 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेदसिंह का, खसरा नं. 82 रकबा 0.51 हैक्टेयर में से 1/2 भाग वादी संख्या 1 बाबूसिंह का व 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेदसिंह का, खसरा नं. 83 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से रकबा 0.6 हैक्टेयर में से 1/2 भाग वादी संख्या 1 बाबूसिंह व 1/2 भाग प्रतिवादी संख्या 1 उम्मेदसिंह का रखा गया है।
3. वादी संख्या 2 नरपतसिंह का बंट :- ग्राम सरहद जैसास के खसरा नं. 9 रकबा 1.89 हैक्टेयर में से 0.94 पश्चिमी भाग का कब्जा काश्त है, ग्राम भूणास की सरहद के खेत खसरा नं. 11 रकबा 0.053 हैक्टेयर सम्पूर्ण भाग।
4. प्रतिवादी संख्या 2 से 7 तक भंवरसिंह के उत्तराधिकारियों का नाम रेकर्ड में गलत दर्ज हो गया इसलिए रेकर्ड से नाम हटाया जावे।
5. प्रतिवादीगण संख्या 8, 9, 10 अचलसिंह के उत्तराधिकारियों का नाम हटाया जावे व रेकर्ड दुरुस्त किया जावे।
6. प्रतिवादी संख्या 11 :- तेजसिंह पुत्र श्री विशालसिंह के बंट में सरहद जैसास के खसरा नं. 19 रकबा 2.25 हैक्टेयर के सम्पूर्ण भाग ग्राम भूणास की सरहद के खेत खसरा नं. 23 रकबा 0.53 हैक्टेयर का सम्पूर्ण भाग, खसरा नं. 83 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 0.6 हैक्टेयर बंट में है। खसरा नं. 88 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 89 रकबा 0.34 हैक्टेयर का सम्पूर्ण भाग।
7. प्रतिवादीगण संख्या 12, 13, 14, 15, 16 गणपतसिंह उत्तराधिकारियों का नाम रेकर्ड से हटाया जावे।
8. प्रतिवादीगण संख्या 17, 18 श्रवणसिंह के उत्तराधिकारियों का नाम रेकर्ड से हटाया जावे।
9. प्रतिवादीगण संख्या 19, 20 पीरसिंह के उत्तराधिकारी है। इनके उत्तराधिकारियों का कोई बंट नहीं है। रेकर्ड में से पीरसिंह का नाम हटाया जावे।

10. प्रतिवादी संख्या 21 बालसिंह पुत्र कल्याणसिंह का नाम रिकॉर्ड से हटाया जावे।
11. प्रतिवादी संख्या 22, 23 दशरथसिंह, किशोरसिंह पुत्र दयालसिंह के बंट में ग्राम तोगास की सरहद के खेत खसरा नं. 80 रकबा 1.16 हैक्टेयर का सम्पूर्ण भाग हिस्से में रखा गया है।
12. प्रतिवादीगण संख्या 24, 25, 26 व 27 जब्बरसिंह, उम्मेदसिंह, गोविन्दसिंह, अनूपकंवर के ग्राम भूणास के खसरा नं. 24 रकबा 0.51 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 25 उम्मेदसिंह, प्रतिवादी संख्या 27 अनूप कंवर बेवा पप्पूसिंह के बंट में सम्पूर्ण हिस्सा खसरा नं. 90 रकबा 0.35 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 24 जब्बरसिंह, प्रतिवादी संख्या 26 गोविन्दसिंह के बंट में सम्पूर्ण भाग रहेगा।
13. प्रतिवादी संख्या 28, 29, 30, 31, 32, 33 शैतानसिंह, फेफसिंह, सोनूसिंह, भंवर कंवर बेवा फैफसिंह व मांगूसिंह, हडमानसिंह पुत्र श्यामसिंह के बंट में ग्राम सरहद जैसास के खसरा नं. 9 रकबा 1.89 हैक्टेयर में से 0.95 हैक्टेयर पूर्वी भाग बंट में रखा गया है। ग्राम तोगास की सरहद के खेत खसरा नं. 81 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 82 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 83 रकबा 0.27 हैक्टेयर का सम्पूर्ण भाग प्रतिवादी संख्या 32 मांगूसिंह के बंट में रहेगा, खसरा नं. 80 रकबा 1.98 हैक्टेयर में से 0.82 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 32 मांगूसिंह के बंट में रहेगा, ग्राम भूणास की सरहद के खेत खसरा नं. 83 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 0.6 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 28 से 33 के सम्मिलित रहेगा। खसरा नं. 141 रकबा 1.14 का सम्पूर्ण भाग प्रतिवादी संख्या 33 हडमानसिंह के बंट में रहेगा।
14. प्रतिवादी संख्या 3, 35 पूर्णसिंह व गुलाबसिंह है। ग्राम भूणास की सरहद के खेत खसरा नं. 12 रकबा 0.051 का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी संख्या 35 गुलाबसिंह का रहेगा खसरा नं. 83 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 0.1 हैक्टेयर गुलाबसिंह व प्रतिवादी संख्या 33 हडमानसिंह के बंट में रहेगा।
15. प्रतिवादी संख्या 36, 37 देसूकंवर व छोटूकंवर पुत्रियां जालमसिंह का नाम रिकॉर्ड से हटाया जावे।
16. प्रतिवादी संख्या 38, 39, 40, 41, 42 सतूसिंह, मालमसिंह, महेन्द्रसिंह व सिरि कंवर के ग्राम भूणास के सरहद के खेत खसरा नं. 63 रकबा 0.68 व खसरा नं. 64 रकबा 0.04 हैक्टेयर का सम्पूर्ण भाग इनके बंट में रखा गया है। ग्राम भूणास के सरहद के खेत खसरा नं. 83 रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 0.02 हैक्टेयर रखा गया है। ग्राम तोगास की सरहद के खसरा नं. 150 रकबा 0.90 हैक्टेयर का सम्पूर्ण भाग, ग्राम जैसास के खसरा नं. 17 रकबा 1.20 हैक्टेयर का सम्पूर्ण भाग सम्मिलित रहेगा।
17. प्रतिवादीगण संख्या 43, 44, 45, 46 भीखसिंह, नारायणसिंह, महेन्द्रसिंह, राम कंवर बेवा मोडसिंह के बंट में ग्राम भूणास की सरहद के खेत खसरा नं. 65 रकबा 0.62 हैक्टेयर, ख.न. 66 रकबा 0.12 हैक्टेयर, ख.न. 67 रकबा 0.66 हैक्टेयर का सम्पूर्ण भाग इनके बंट व हिस्से में है।

उपखण्ड अधिकारी
मेरठ (राज.)

18. प्रतिवादी संख्या 47, 48 अमरसिंह व मूलसिंह पुत्र धुकलसिंह है।
ग्राम तोगास की सरहद के खेत खसरा नं. 78 रकबा 1.02 हैक्टेयर
का सम्पूर्ण भाग प्रतिवादी सं. 47 अमरसिंह के हिस्से में सम्पूर्ण भाग,
खसरा न. 140 रकबा 1.24 हैक्टेयर का सम्पूर्ण भाग प्रतिवादी संख्या
48 मूलसिंह के बंट में रहेगा, ग्राम भूणास की सरहद के खेत खसरा
न. 81 रकबा 0.60 हैक्टेयर सम्पूर्ण भाग प्रतिवादी सं. 48 मूलसिंह के
हिस्से में रखा गया, ग्राम भूणास के सरहद में खेत खसरा नं. 83
रकबा 0.24 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 47
अमरसिंह व प्रतिवादी संख्या 48 मूलसिंह के संयुक्त खातेदारी में
रहेगा।

बंटवाड़े के आवश्यक स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो
तहसीलदार मेड़ता यदि किसी न्यायलय का स्थगन आदेश नहीं हो अथवा
अन्यथा कोई आदेश नहीं हो तो रहन मुक्ति के पश्चात राजस्व रेकॉर्ड में
नियमानुसार अमलदरामद करे। पत्रावली फैंशल शुमार होकर बाद जाब्ता
कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।



(हीरालाल मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मेड़ताधिकारी
मेड़ता (राज.)